

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल 2 -8/2018

पटना, दिनांक :-

डा० नवल किशोर, सीनियर रेजिडेंट, शिशु रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के दिनांक- 25.09.2017 से दिनांक- 11.02.2018 तक कैंसर रोग के ईलाज हेतु कुल 140 दिनों की अनुपस्थिति अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 248 में निहित प्रावधान के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति देते हुए विनियमित किया जाता है।

2. डा० किशोर को 300 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय है।
3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक- 17/एल 2 -8/2018 - 479 (17) पटना, दिनांक :- 12/11/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया / डा० नवल किशोर, सीनियर रेजिडेंट, शिशु रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(डा० कौशल किशोर), के निजी सहायक/प्रशाखा-02, 03 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।